30/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष सभी अप्रार्थीगण को नियम समन तामील होने पर भी अनुपस्थित हैं। उपस्थित उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष का कहना है कि पेशी के रोज वकील की उपस्थिति नहीं हो पाई और न ही वकील की तरफ से प्रार्थी को उपस्थिति बाबत कोई हिदायत ही थी। इसलिए मामला अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता की चूक का खामियाजा प्रार्थी/पक्षकार को नहीं भुगतना पड़े, इसलिए न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जावें।

वकील अप्रार्थी का कहना है कि अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, उनकी तरफ से उपेक्षा के चलते मामला लंबा होता रहता है।

उभय पक्ष की दलीलों पर मनन किया जाने के पश्चात् मामला पुनः बहाल इस शर्त पर किया जाना न्यायसंगत है कि अपीलार्थी पक्षकार आगे कोई चूक नहीं करे। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नियमित सुनवाई के प्रकरण में ली जाकर आगामी तारीख पेशी से उभय पक्ष सूचित हो। पत्रावली [illegible] [illegible] होकर नकल के [illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

30/7/19